राइट टू सर्विस कमीशन ने महेंद्रगढ़ नगर पालिका की लापरवाही पर लिया संज्ञान

स्ट्रीट लाइट मुरम्मत में देरी, आयोग ने जेई को किया दंडित

सवेरा ब्यूरो

चंडीगढ़, 12 दिसंबर : हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन ने महेंद्रगढ़ नगर परिषद क्षेत्र में स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत में हुई देरी और संबंधित अधिकारियों की लापरवाही पर गंभीर संज्ञान लिया है। प्रवक्ता ने बताया कि मूल शिकायत 24 मार्च 2025 को प्राप्त होने के बावजूद नगर पालिका समिति की ओर से आवश्यक लिखित निर्देश लंबे समय तक जारी नहीं किए गए। वारंटी शर्तों के अनुसार एजेंसी को सात दिनों के भीतर लाइटों की मरम्मत या प्रतिस्थापन सुनिश्चित करना अनिवार्य था। किंतु समिति द्वारा पहला लिखित ईमेल 30 अगस्त को भेजा गया, जो न केवल चार महीने की देरी दर्शाता है बल्कि आयोग के 30 जुलाई के अंतरिम आदेशों के लगभग एक माह बाद की गई कार्रवाई भी है। इस विलंब के परिणामस्वरूप एजेंसी को अनुचित आर्थिक लाभ मिला और उपभोक्ताओं को अनावश्यक असुविधा झेलनी पड़ी।

किसी प्रकार का दंड न लगाया जाना अत्यंत गंभीर चूक मानी गई

एसजीआरए कम जिला नगर आयुक्त नारनौल द्वारा भेजी गई 29 सितंबर की रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया कि लगभग 200 स्ट्रीट लाइटें खराब पाई गईं, परंतु नगर पालिका समिति मात्र 45 लाइटें ही खंभों से हटाकर मरम्मत के लिए भेज सकी। इनमें से 22 लाइटें ठीक कर पुन स्थापित की गईं जबकि 23 लाइटें एसपीडी (सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस) जलने और अन्य पुर्जों की समस्या के कारण 29 सितंबर तक लंबित रहीं। समिति द्वारा सप्लायर को बार-बार अनुपालन न करने पर भी किसी प्रकार का दंड न लगाया जाना अत्यंत गंभीर चूक मानी गई। सुनवाई के दौरान डीओ, एमई और नगर परिषद मानेसर में तैनात अधिकारी ने स्वीकार किया कि एजेंसी सामान्यत: सामूहिक रूप में मरम्मत करती है और 1-2 खराब लाइटों पर तुरंत कार्रवाई नहीं करती। जिस कारण महेंद्रगढ़ क्षेत्र में भी देरी हुई। लेकिन अधिकारी ने भी स्वीकार किया कि निर्धारित समय सीमा के भीतर आरटीएस सेवा का पालन न करना स्पष्ट रूप से गंभीर प्रशासनिक त्रुटि है। यह भी संभव है कि अभी भी कुछ लाइटें खराब स्थिति में हों। एसजीआरए कम जिला नगर आयुक्त महेंद्रगढ़ को निर्देश दिए गए हैं कि अनुपालन रिपोर्ट चालान प्रतियों सहित आयोग को भेजी जाए। साथ ही अपील अवधि के दौरान प्रकरण जिन अधिकारियों के समक्ष लंबित रहा, उनके विरुद्ध आयोग ने इस चरण पर दंडात्मक कार्रवाई न करते हुए कड़ी चेतावनी जारी की है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि उनके नाम इस प्रकरण के साथ अपने अभिलेख में दर्ज किए जा रहे हैं। भविष्य में किसी भी स्तर पर ऐसी लापरवाही पाए जाने पर अधिनियम के तहत विभागीय कार्रवाई की संस्तुति की जाएगी।